न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 04/2018

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| 1. टीलाराम पुत्र जगाजी<br>2. पन्नाराम पुत्र सोमतीजी जातिगण रेबारी निवासीगण कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही | | 1. मंजू पत्नी रामलाल जाति पुरोहित निवासी काबा मूंगथला तहसील भीनमाल जिला जालोर<br>2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही जिला सिरोही |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री हंसराज पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 5-11-18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 214/2012 टीलाराम बनाम मंजू वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.07.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय मौका फर्द व पक्षकारान के हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार नजरी नक्शा दर्शाते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में नियत करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को ही तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रेसित कर दिया, जबकि विधि अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तहसीलदार को मौका निरीक्षण कर पक्षकारान् की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था, जो नहीं किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व मौके अनुसार तैयार नजरी नक्शा से विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही राजस्व लोक अदालत में जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्व है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए पक्षकारान् के मध्य विवादित आराजी के पूर्व में हुए विभाजन, मौके पर कब्जा व तहसीलदार द्वारा दिनांक 03.05.2013 को न्यायालय में प्रस्तुत जवाबदावा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार विभाजन कर अन्तिम डिक्री पारित करने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। हस्तगत निर्णय लोक अदालत के तहत पारित किया गया है, जिसकी अपील अनुज्ञेय नहीं है। जिस भूमि पर अपीलाण्ट ने स्वयं का कब्जा काश्त होना बताया है, विभाजन में वही भूमि उनके हिस्से में रखी गई है। जहां जिस पक्षकार का कब्जा है, उसी के अनुसार हिस्से में जितनी भूमि आती है, तदन्सार विभाजन की डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट पूर्व में विभाजन की बात करते है, यदि पूर्व में विभाजन हो चुका था, तो पुनः विभाजन का वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तहसीलदार द्वारा नियमों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो अपीलाण्ट की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में निर्णित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 05.07.2017 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.03.2018 को प्रस्तुत की गई है, जो निर्णय पारित होने के लगभग 8 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। इसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 20.02.2018 को होना बताया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज कराने का निवेदन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट का 1/2 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि का विधिक विभाजन हेतु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तनकीयात कायम होकर पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी एवं इस दौरान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में नियत करने हेतु जो नोटिस जारी किए, वे अपीलाण्ट को संयुक्त रूप से जारी किए गए है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर0आर0डी0 1990 पेज 351 नाथू बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में प्रतिपादित किया है, जिसका उद्धरण इस प्रकार है – " Separate notices should have been served on each trespasser-- Where request is made for actual measurement of land alleged to have been trespassed upon, land should be measured before drawing conclusion whether trespass has occurred or not" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण–रूपेण चस्पा होता है।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव प्राप्त ही नहीं हुआ, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव, नक्शा ट्रेस आदि प्राप्त होने का इन्द्राज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। जबकि विभाजन के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 में सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान निम्न प्रकार है – S..20 of RAJASTHAN TENANCY (Revenue Board) Rules, 1955 - 20 DIVISION OF HOLDING BY DECREE.

Same as provided in Rule 19 in a division of holding by the decree or order of a competent court passed in a suit by one or more of the co-tenant for the purpose of dividing the holding the distributing the rent thereof over the several portions into which it is divided the following principles shall be observed:-

(a) The valuation of the portion allotted to each party shall be proportionate to his share in the holding.

(b) The portion allotted to each party shall be as compact as possible.

(c) As far as possible, no party shall be given all the inferior or all the superior quality of land.

(d) As far as possible, existing fields shall not be split up.

(e) Plots which are in the separate possession of a tenant shall, as far as possible, be allotted to the tenant, if they are not in excess of his share.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Division of Holding by Agreement or by Order of Court"

नियम 21 में नक्शा बनाना और उपविभाजित खेतों का अंकन करने का प्रावधान इस प्रकार है कि तहसीलदार नक्शा बनाएगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों से दिखाया जायेगा और किसी खेत को उपविभाजित किया गया है, तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार ही नहीं किया गया, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल की मुख्य पीठ द्वारा आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में निम्न अभिमत प्रकट किया है –

Rajasthan Tenancy ( Board of Revenue ) Rules , 1955, Rules 18 to 21 - Reference - Preparation of proposal for division by Tehsildar - Question for consideration is whether under Rules 18 to 21 of Rajasthan Tenancy ( Board of Revenue ) Rules , 1955, proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may sub-delegate his administrative power in respect of preparation of proposal for division - Held, it is mandatory for Tehsildar that he himself inspect site and prepare proposal for division of holdings - He may entrust ministerial work to its subordinate Naib Tehsildar, ILR or Patwari etc., for preparation of map and demarcation of sub-divided field and filing of colours - Imperative upon Tehsildar that he himself prepare report under his seal and signature, he can not forward report prepared by ILR, Patwari and draftsman without application of his mind - Directions to SDO to ensure that report submitted before him prepared by Tehsildar as per law and if report not prepared by Tehsildar himself then SDO to return it to Tehsildar for preparation of report - Direction to Registrar, Board of Revenue to send copy of judgment to all concerned for compliance and action.

उपरोक्त न्याय निर्णय से यह स्थिति प्रकट होती है कि नियम 18 से 21 में जो प्रावधान प्रदत्त है, उसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार ही अधिकृत है, जिसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव न तो तैयार किया गया एवं न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित होने से समर्थन योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 214/2012 टीलाराम बनाम मंजू वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.07.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार पृथक पृथक विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली